दूरभाष: 0522—2838108

कार्यालय परियोजना निदेशक,

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन—उ0प्र0,

प्लाट 18, सेक्टर 07, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

ई—निविदा प्रपत्र
वाहन के माध्यम से सचल प्रदर्शनी
ई—निविदा तालिका विवरण

क्र0 सं0	विवरण	
1	निविदा का नाम	वाहन के माध्यम से सचल प्रदर्शनी
2	ई—निविदा चयन का आधार	निर्धारित तकनीकी योग्यता के आधार पर चयनित फर्मो द्वारा प्राप्त, कम से कम लागत
3	ई— निविदा फीस	रू0 500 / — आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी के माध्यम से
4	विभाग का नाम, पता	परियोजना निदेशक, प्लाट नं0 18, सेक्टर 07, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, दूरभाष संख्या 0522—2838108, ई—मेल sms@smcg-up.org apd@smcg-up.org
5	प्रस्ताव की वैद्यता अवधि	90 दिन
6	ई—निविदा जमानती धनराशि	रू0 20000 / — आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी के माध्यम से
7	एकाउन्ट का विवरण	535102050800052
8	वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड प्रस्तुत	हाँ
9	वैद्यता भाषा	हिन्दी
10	वैद्यता मुद्रा	रू0
11	बिड अपलोड करने का दिनांक	02.01.2019
12	पूर्व बिड सम्मेलन	07.01.2019
13	निविदादाता द्वारा बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	11.01.2019 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक
14	प्रश्नो के संबंध में जिज्ञासा एवं अपेक्षा का निराकरण	08.01.2019, कार्यालय समय
15	तकनीकी बिड खुलने का समय	11.01.2019 को 12:30 बजे
16	तकनीकी प्रस्तुतीकरण तिथि	12.01.2019 को 11:00 बजे प्रातः
17	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	14.01.2019

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

नगरीय निकाय निदेशालय प्रशिक्षण केन्द्र,
प्लाट नं0–18, डायल–100 के समीप, शहीद पथ सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार योजना
लखनऊ–226010

गणतन्त्र दिवस समारोह, लखनऊ–2019 के अवसर पर प्रदर्शित होने वाली झांकी से संबंधित निविदा विवरण एवं शर्तें

1. राज्य स्वच्छ गंगा मिशन विभाग की झांकी–2019 शीर्षक नमामि गंगे परियोजना, उत्तर प्रदेश–एक झलक" के निर्माण हेतु प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त कलाकारों/एजेन्सियों/संस्थाओं से ई–पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित है।
2. निविदाकार अपनी निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करेंगे पहले लिफाफे में तकनीकी बिड के अन्तर्गत झांकी की मॉडल (Mock up) एवं वांछित अभिलेख होंगे तथा दूसरे लिफाफे पर वित्तीय बिड लिखा होना चाहिए। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के उपरान्त चयनित निविदाकारों की ही निविदाएं खोली जायेंगी और उन्हीं में से अंतिम रूप दिया जायेगा।
3. झांकी से संबंधित आधारभूत सामग्री (बैक ग्राउन्ड मैटीरियल) का अवलोकन जैसा कि प्रकाशित निविदा में स्पष्ट किया गया है, अतिरिक्त परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 के कार्यालय कक्ष में निविदा प्रकाशित होने की तिथि से 10 जनवरी, 2019 तक प्राप्त किया जा सकता है।
4. सभी प्रकार से पूर्ण तथा ई–पोर्टल पर निविदादाताओं द्वारा अपलोडेड निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 11.01.2019 को मध्याह्न 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष तक खोली जायेंगी।
5. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त निविदा प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0 को होगा।
7. किसी भी विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
8. निविदादाता झांकी के निर्माण पर होने वाले साभी प्रासंगिक खर्चों का मदवार व्यय विवरण व ट्रक की व्यवस्था पर होने वाले व्यय को स्पष्ट तौर पर अंकित करते हुए निविदा दर अंकित करें। झांकी हेतु कलाकारों की व्यवस्था तथा उनकी वेश–भूषा के अनुसार वस्त्रों/आभूषणों/उपकरणों की व्यवस्था के साथ ही म्यूजिक की रिकार्डिंग व उच्च स्तरीय म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था निविदादाता के द्वारा करायी जायेगी जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
9. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी।

कार्यक्षेत्र

1. निविदाता को झांकी की स्वीकृत डिजाइन की माप के अनुसार खुले एवं बडे ट्रक पर झांकी के निर्माण एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धाति मार्ग पर प्रदर्शित करने हेतु सक्षम होना चाहिए। लार्ज साइज के ट्रक की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। ट्रक का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाये कि उसकी लम्बाई बढ़ाने से 40 फीट हो जाय तथा पिछला भाग भी पर्याप्त लोड सहन कर सके। ट्रक अच्छी कण्डीशन का हो, ताकि किसी 'डिफेक्ट के कारण चलते–चलते रुक न जाय।
2. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झांकी का निर्माण प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक पूरा करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगी। किसी भी लापरवाही के लिए आंशिक या पूर्ण भुगतान रोका जा सकता है। झांकी का निर्माण डिजाइन के अनुसार अन्य सामग्री से भव्य साज–सज्जा का दायित्व भी निविदादाता का ही होगा।
3. निविदादाता को निर्माण कार्य के लिए दिये गये सभी निर्देशों का भली प्रकार पालन करना आवश्यक होगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा झांकी के निर्माण कार्य व साज–सज्जा इत्यादि के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये जायेंगे, निविदादाता को उनका पालन करना होगा तथा इन मामलों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।
4. ट्रक पहले ही दिन दिखाना होगा तथा .... जनवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में साइट पर लाना होगा। ट्रक ध्वनि, वायु प्रदूषण धुंआ रहित हो तथा आर0टी0ओ0 विभाग द्वारा प्रदत्त ट्रक फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदादाता को झांकी दिनांक 23 जनवरी, 2019 की प्रातः तक प्रत्येक दशा में तैयार करना होगा। सलामी मंच के सामने झांकी आधा मिनट से अधिक नहीं रुकेगी। झांकी सबंधित कोई प्रचार/कैसेट किसी भी एनाउन्सिंग बूथ से नहीं बजाया जायेगा।
6. झांकी बनाने वाले मुखिया सहित 10 कारीगरों के नाम व पते, फोटो, पहचान–पत्र के साथ आदेश लेते समय, देने होंगें तथा ये सभी 10 कारपेन्टर हमेशा झांकी के पास रहेंगे। अन्य किसी का काम नहीं करेंगे।

फाइनेन्शियल बिन्दु

1. निविदादाता समस्त कार्यों का मदवार विवरण देते हुये सभी करों सहित एक मुश्त धन राशि पोडियम व कलाकारो की संख्या इत्यादि बर्णित करें, बर्णित की गयी धनराशि के अतिरिक्त कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
2. सफल एवं संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न होने पर निविदादाता द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

टेक्निकल बिड

1. निविदादाता द्वारा अब तक झांकी कार्य से सम्बन्धित जो भी कार्य किये गये हैं, उसका एक संक्षिप्त विवरण संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर झांकी निर्माण का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। साक्ष्य स्वरुप प्रमाण संलग्न किया जाय।
3. प्रस्तावित मोडल प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदादाता को निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार मात्र) का आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से जमा करना होगा

5. तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन निम्नवत किया जायेगा।

क्र0 सं0	विवरण	अंक
1	माडल	40
2	दर्शाने में किये जाने वाली सामग्री का विवरण	25
3	परियोजनाओं की जानकारी	10
4	अनुभव (10 झांकी कार्यक्रम निस्तारण कार्यक्रमों का विवरण)	15
5	पिछले 03 वित्तीय वर्षों 2015–16, 2016–17, 2017–18) में किसी भी एक वर्ष में कम से कम रू0 9 लाख प्रस्तावित कार्य के प्रकार का काम किया हो	10
	कुल योग	100

न्यूनतम 80 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता को तकनीकी रूप से अर्ह मानते हुये उसकी वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

1. **आयकर विवरण के संबंध में–**
   - (i) आयकर प्रमाण–पत्र (आई.टी.आर.) एवं आय कर गणना प्रपत्र की छायाप्रति, वर्ष 15–16, 16–17, 17–18
   - (ii) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
   - (iii) एम.ओ.ए. की छायाप्रति, 1956/2013 रजिस्टर्ड कम्पनी
2. **व्यापार कर विवरण के संबंध में–**
   - (i) आयकर प्रमाण–पत्र (आई.टी.आर.) एवं आय कर गणना प्रपत्र की छायाप्रति।
   - (ii) सकिय GSTप्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. **सर्विस टैक्स विवरण के संबंध में–**
   - (ii) GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. **संस्था के स्वामित्व संबंधी–**

   चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों–2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की बैलेन्स शीट, लाभ–हानि खाता एवं आडिटर्स रिपोर्ट की छायाप्रति।
5. लेबरEPF/ESI पंजीकरण अनिवार्य है।
6. पिछले तीन साल का वार्षिक कारोबार 25 लाख से कम नहीं होना चाहिये।
7. **जमानत राशि के संबंध में–**

   चयनित निविदादाता को स्वीकृत निविदा कार्य धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी., के माध्यम से जो कि परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन–उ0प्र0, नगर विकास विभागके पक्ष में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी का समायोजन जमानती धनराशि में किया जा सकता है।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
अपर परियोजना निदेशक